भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 1685

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2024/19 अग्रहायण, 1946 (शक)

आंध्र प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

1685. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में जारी आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश का निवल सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2018-19 में 7.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 12.91 लाख करोड़ रुपये हो गया है;

(ख) क्या कृषिक्षेत्र ने वर्ष 2018-19 में 2.61 लाख करोड़ रुपये से वर्ष 2023-24 में 4.31 लाख करोड़ रुपये की उच्चतम वृद्धि और इस प्रकार 12.97 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस प्रगति को लेकर क्या रुख है और राज्य को वृद्धि और आगे बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने की क्या योजना है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक की 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24' शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर आंध्र प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2018-19 में 7.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 12.91 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

(ख) और (ग): भारतीय रिजर्व बैंक की 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24' शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 और वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर आंध्र प्रदेश में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों द्वारा सकल मूल्यवर्द्धन (एनवीए) का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	2018-19	2023-24	वार्षिक वृद्धि दर (%)
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	2,61,448	4,31,100	12.97%
खनन और उत्खनन	20,955	32,259	10.78%
विनिर्माण	67,393	1,29,806	18.52%
बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	13,297	24,766	17.25%
निर्माण	56,106	95,749	14.13%
व्यापार, मरम्मत, छात्रावास और रेस्तरां	58,142	89,716	10.86%

केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों जैसे: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई), संशोधित ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम (एमआईएसएस), फसल बीमा स्कीम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), कृषि उन्नति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएम-एफबीवाई), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) आदि के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा, पूंजीगत व्यय, जिसका उच्च गुणक प्रभाव होता है, को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में राज्यों की सहायता करने के लिए वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 से वार्षिक पूंजीगत व्यय/निवेश (एसएएससीआई) के लिए राज्यों को विशेष सहायता हेतु स्कीमों को तैयार तथा कार्यान्वित किया है। इन स्कीमों के तहत, राज्यों को 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसएएससीआई स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को अभी तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता 14,873 करोड़ रुपये है।

*****